11/7/25

वकील करीलिए उप०। पत्रावली के उपस्थित की वहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि नामांतरण संख्या 56 दिनांक 27.12.74 ग्राम हजारीपुरा (खसरा नं० 25 रकबा .9357 है०) विधि विरुद्ध दर्ज हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और नामांतरण संख्या 56 दिनांक 27.12.74 ग्राम हजारीपुरा (खसरा नं० 25 रकबा .9357 है०) निरस्त किया जाता है। तहसीलदार करौली को आदेश दिया जाता है कि मृतक के वारिसों की विधिवत पहचान कर नामांतरण दर्ज किया जावे। पत्रावली एक पृथक संख्या अंकित कर नियम विधि पालित उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:30:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)